ध. व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर)

प्रमुख व्यवसाय क्षेत्रों के निष्पादन और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कोर बैंकिंग प्लेटफार्म का लाभ उठाने हेतु बैक ने व्यवसाय प्रक्रियाओं की पुनः रूपरेखा तैयार की है। बैंक द्वारा शुरू की गई बीपीआर परियोजना बैंक को एक विश्वस्तरीय बैंक के रूप में परिवर्तित करने के लिए कार्य कर रही है जो अत्यंत सक्रियता के साथ नए ग्राहकों तक अपनी पहुंच बना सके, वर्तमान ग्राहकों के साथ स्थायी और दूरगामी संबंध स्थापित कर सके और सभी ग्राहकों को विविध-माध्यमों से स्तरीय सेवाएं उपलब्ध करा सके। विभिन्न बीपीआर पहलों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

- रिटेल ऋणों, लघु एवं मध्यम उद्यम ऋणों और व्यापार वित्त के लिए केन्द्रीकृत प्रक्रिया केन्द्र स्थापित किए गए, जिन्होंने शाखाओं की विभिन्न स्तरीय प्रक्रियाओं को पूरा करने का दायित्व ग्रहण कर लिया है।
- महत्वपूर्ण केंद्रों पर संबंध प्रबंधकों की नियुक्ति की गई जिससे बड़े और उच्च मालियत वाले ग्राहकों के साथ-साथ मध्यम उद्यम ग्राहकों को भी व्यक्तिगत रूप से सेवाएं प्रदान की जा सकें।
- महत्वपूर्ण बाजारों को लक्षित करके विभिन्न उत्पादों की बिक्री बढ़ाने तथा प्रति बिक्री करने के लिए गृह ऋण विक्रय समूह और बहु-उत्पाद विक्रय समूह जैसे समर्पित कार्य समूह बनाए गए हैं।
- आस्ति केन्द्रीकृत प्रक्रिया केन्द्रों के लिए विभिन्न संस्वीकृति प्रक्रियाओं को निश्चित समय में पूरा करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
- आस्तियों तथा प्रलेखीकरण की गुणवत्ता में सुधार किया गया।
- व्यापार वित्त बहुल केन्द्रों पर सभी शाखाओं को गैर-निधि आधारित व्यवसाय जैसे साख-पत्रों/बैंक गारंटियों और बिलों पर शीघ्रता और सहजता से कार्रवाई करने में निपुण बनाया गया है।
- नए खातों को शीघ्रता से खोलने तथा व्यक्तिगत चेक बुक जारी करने के लिए शाखाओं को सशक्त बनाया गया है।
- समाशोधन संबंधी कार्यकलापों को केन्द्रीकृत करने और ग्राहक सेवा पर अधिक ध्यान देने के लिए शाखाओं को मुक्त करने हेतु समाशोधन केन्द्रीकृत प्रक्रिया केन्द्र स्थापित किए गए हैं।
- पेंशनरों को केन्द्रीकृत पेंशन प्रक्रिया केन्द्रों के माध्यम से सही एवं समय से पेंशन अदा की जा रही है।
- प्रलेख संग्रह केंद्र बनाए गए हैं जिससे शाखाओं में पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके।

- स्विफ्ट के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली खुदरा धनराशियों पर कार्रवाई करने के लिए आवक धनराशि केन्द्र खोले गए हैं।
- शीघ्रता से और दक्षतापूर्वक कार्य संचालित करने और ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए संगठनात्मक संरचना के अंतर्गत स्तरों में कमी की गई है।
- 24X7 आधार पर टोल फ्री नंबर वाला एक संपर्क केंद्र स्थापित किया गया है जिसके द्वारा उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ ग्राहकों को खाते और शेष संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। यह सेवा शीघ्र ही 17 देशों में अनिवासी भारतीयों के लिए भी उपलब्ध करा दी जाएगी।

वर्ष के दौरान, देश के शीर्ष 113 व्यवसाय केन्द्रों को पूर्ण रूप से बीपीआर के अंतर्गत शुरू किए गए उपर्युक्त प्रयासों की परिधि में लाया गया है जो अच्छी तरह से स्थापित हो गए हैं और इनसे शाखाओं द्वारा प्राहकों को बेहतर, शीघ्र एवं सही सेवा प्रदान की जा रही है।

इन सभी प्रयासों से बैंक को नई परिचालन संरचना सृजित करने में सहायता मिली है जिससे वैश्विक चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा।

न.राजभाषा विभाग

 \oplus

बैंक द्वारा राजभाषा नीति से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं की पूर्ति और हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से अपने उत्पाद और सेवाएं जन-जन तक पहुंचाने के लिए वर्ष-भर अनेक प्रकार के प्रयास किए जाते रहे। अपने इन प्रयासों के अंतर्गत वर्ष के दौरान बैंक द्वारा अपनी 11,448 कोर बैंकिंग शाखाओं में द्विभाषी सॉफ्टवेयर संस्थापित कर दिया गया, जिससे बैंक के प्राहक अपनी पासबुक, खाता विवरण और अन्य रिपोर्ट हिंदी में प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, बैंक द्वारा अपने प्राहकों को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप बैंक के एटीएमों में हिंदी में हिटों की संख्या 46 लाख और अन्य भारतीय भाषाओं में हिटों की संख्या 39 लाख प्रति माह तक पहुंच गई।

प. बैंकिंग परिचालन विभाग

- बैंक ने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धन-शोधन निवारक (एएमएल) / आतंकवाद के लिए वित्तपोषण रोकने के उपायों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित नीति का कार्यान्वयन किया है।
- लेनदेनों की निगरानी की जाती है ताकि धन-शोधन निवारक अधिनियम, 2002 के नियमों के अनुसार अधिदेशित वित्तीय

72

C72 K72

S. BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING (BPR)

- Bank has redesigned the business processes to leverage the Core Banking platform to improve performance in key business areas and quality of customer service. The BPR Project undertaken by the Bank is working to transform it into a world class institution by proactively reaching out to acquire new customers, building deep and lasting relationships with existing customers and providing all customers with the best quality of service across multiple channels. Various BPR initiatives undertaken are detailed below:
- Centralised Processing Centres for Retail loans, Small & Medium enterprise loans, and Trade Finance were set up, wherein the end to end processes have been taken over from branches.
- Relationship Managers have been positioned at strategic centres to extend personalized service to mass affluent and HNI clients, and also for Medium Enterprises clients.
- Dedicated Sales Teams like Home Loans Sales Team and Multi Product Sales Team have been set-up to target niche markets and to up-sell and cross-sell various products.
- Assured Standard Turn Around Times for various sanction processes have been fixed for Asset CPCs.
- Quality of Assets and Documentation has improved.
- All branches in trade finance intensive centres have been made capable to handle non-fund based business like LCs/BGs and Bills with speed and ease.
- Capability has been provided to branches for speedy opening of new accounts and issue of personalised cheque books.
- Clearing CPCs have been established to centralise clearing related activities and free up branches to focus on customer service.
- Pensions are being paid to pensioners through Centralised Pension Processing Centres accurately and in time.
- Document Archival Centres have been designed to free up valuable space in branches.

- Inward Remittance Cell has been opened to handle all retail remittances received through SWIFT at a single point.
- For increasing speed and efficiency and to improve customer service, the organizational structure has been delayered.
- A 24x7 contact centre has been established with toll-free number for providing information on products and services as well as account and balance queries to the customers. This service is being extended to NRIs in 17 countries shortly.

During the year, top 113 business centres of the country have been fully covered by the above BPR initiatives which have stabilised very well and have enabled branches to serve customers better, with speed and accuracy.

All these initiatives have helped the Bank in creating a new operating architecture capable of meeting global competition.

T. OFFICIAL LANGUAGE DEPARTMENT

The Bank complied with the statutory requirements relating to the Official Language policy and made several efforts to deliver its products and services to the masses in Hindi and other Indian languages. These include installation of bilingual software in its 11448 Core Banking branches during the year which enabled customers to get their pass books, statements of account and other reports in Hindi. In addition to this, the number of hits on ATMs in Hindi reached 46 lakhs and in other Indian languages, 39 lakhs per month as a result of efforts made by the Bank to provide its services in Hindi and other Indian languages to its customers.

U. BANKING OPERATIONS DEPARTMENT

- The Bank has put in place, a Board approved revised policy on Know Your Customer (KYC)/ Anti Money Laundering (AML)/Combating the Financing of Terrorism (CFT) measures in line with the guidelines issued by Reserve Bank of India on the subject.
- Monitoring of Transactions is done with a view to submit the required reports to Financial

73

आसूचना यूनिट-भारत को अपेक्षित रिपोर्टें प्रस्तुत की जा सकें।

- लेनदेनों की निगरानी करने और इस संबंध में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से बैंक ने एक उपयुक्त साफ्टवेयर खरीदा है जो बैंक की सभी देशीय शाखाओं के सभी लेनदेनों की दैनिक आधार पर जांच करता है और इससे आफ लाइन मोड से रोजाना संदेहजनक लेनदेनों की रिपोर्ट (एसटीआर) अलर्ट्स के साथ-साथ मासिक नकद लेनदेन रिपोर्ट तैयार की जाती हैं जिनका विश्लेषण इस उद्देश्य के लिए बनाए गए केवाईसी/एएमएल कक्ष द्वारा किया जाता है।
- बैंक में केवाईसी/एएमएल पर प्रशिक्षण नियमित आधार पर प्रदान किया जा रहा है। केवाईसी/एएमल के विशिष्ट कार्यक्रमों के अतिरिक्त, सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों/कार्यशालाओं में केवाईसी/एएमएल संबंधी एक सत्र रखा जाता है।

उत्तरदायित्व विवरण

निदेशक बोर्ड एतदद्वारा उल्लेख करता है कि:

- वार्षिक लेखे तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू लेखा मानकों का समुचित अनुपालन किया गया है;
- उन्होंने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं निरंतर प्रयोग किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं और प्राक्कलन किए हैं, जो 31 मार्च 2009 को बैंक के कार्यकलाप और उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ और हानि की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाने के लिए पर्याप्त एवं विवेकसम्मत हैं;
- iii. उन्होंने बैंक की आस्तियों की रक्षा करने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताएं रोकने और उनका पता लगाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखने हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है; और

iv उन्होंने वार्षिक लेखों को वर्तमान और भावी सतत अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया है।

आभार

 \oplus

वर्ष के दौरान, श्री टी. एस. भट्टाचार्य, जो 31 जनवरी 2008 को सेवानिवृत हो गए थे, के स्थान पर दिनांक 5 दिसंबर 2008 से प्रबंध निदेशक के रूप में श्री आर. श्रीधरन नियुक्त किए गए। श्री सुमन कुमार बेरी और श्री अशोक झुनझुनवाला, निदेशकों ने बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया और उन्हें भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा दिनांक 24 जून 2008 से 3 वर्ष की अवधि के लिए श्री दिलीप सी.चौकसी और श्री एस. वैंकटाचलम के साथ फिर से चुन लिया गया।

डॉ. राजीव कुमार को भारत सरकार द्वारा दिनांक 8 सितंबर 2008 से केन्द्रीय बोर्ड में नामित किया गया है। श्री सुमन कुमार बेरी, जिन्होंने 18 सितंबर 2008 को केन्द्रीय बोर्ड से त्याग पत्र दे दिया है, के स्थान पर श्री डी. सुन्दरम को दिनांक 13 जनवरी 2009 से धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा शेष अवधि अर्थात् 23 जून 2011 तक चुन लिया गया।

भारत सरकार के धारा 19 (ङ) के अंतर्गत नामिती निदेशक श्री अरुण रामनाथन 30 अप्रैल 2009 से अपनी अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के कारण बैंक के बोर्ड के निदेशक नहीं रहे।

बोर्ड में चर्चाओं के दौरान श्री अरुण रामनाथन और श्री सुमन कुमार बेरी द्वारा दिए गए योगदान की निदेशकों ने प्रशंसा की।

> केन्द्रीय निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से,

दिनांक: 9 मई 2009

ओ.पी. भट्ट अध्यक्ष

74

Intelligence Unit-India mandated by rules of Prevention of Money Laundering Act, 2002.

- With a view to implementing and supporting monitoring of transactions, the Bank has acquired appropriate software which is processing all transactions handled by all domestic branches of the Bank, on a day to day basis and monthly Cash Transaction Reports (CTRs) are being generated along with Suspicious Transaction Report (STR) alerts daily in offline mode, for analysis by the dedicated KYC/AML Cell.
- Training on KYC/AML is being imparted on an ongoing basis in the Bank. In addition to exclusive KYC/AML programmes, all training programmes/ seminars/workshops have a KYC/AML session included in the programme.

Responsibility Statement

The Board of Directors hereby states :

- i. that in the preparation of the Annual Accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
- that they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates as are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as on the 31st March 2009, and of the profit and loss of the Bank for the year ended on that date;
- iii. that they have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and State Bank of India Act, 1955 for safeguarding the assets of the Bank and preventing and detecting frauds and other irregularities; and

iv. that they have prepared the annual accounts on a going concern basis.

Acknowledgement

During the year, Shri R. Sridharan was appointed as Managing Director with effect from the 5th December 2008, in place of Shri T.S. Bhattacharya, who retired on the 31st January 2008. Shri Suman Kumar Bery and Shri Ashok Jhunjhunwala, Directors, resigned from the Board and were re-elected under Section 19(c) of the SBI Act., by the Shareholders along with Shri Dileep C. Choksi and Shri S. Venkatachalam for a period of 3 years with effect from the 24th June 2008.

Dr. Rajiv Kumar was nominated to the Central Board with effect from 8th September 2008 by the Government of India. Shri D. Sundaram was elected by the Shareholders under Section 19(c) with effect from the 13th January 2009, in place of Shri Suman Kumar Bery, who resigned from the Central Board on the 18th September 2008, for the residual period upto the 23rd June 2011.

Consequent to his superannuation on 30th April 2009, Shri Arun Ramanathan, GOI Nominee Director [under Section 19(e)], ceased to be a Director on the Bank's Board.

The Directors place on record their appreciation of the contribution made by Shri Arun Ramanathan and Shri Suman Kumar Bery to the deliberations of the Board.

> For and on behalf of the Central Board of Directors

Date : 9th May, 2009

O.P. Bhatt Chairman

C75 K75

75